	Click as and the transit (COO) and the transition
	Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
a state of	3. जिन अन्यार्थया द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Citizer
	परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अत: OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/ SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आणान कार्ड/ SSO ID की निर्णे के
	5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है.
	Submit नहीं माना जायेगा। 6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
	<ol> <li>आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</li> </ol>
1.5	<ol> <li>राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</li> <li>अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।</li> </ol>
Sec. 1.	या ऑफलाईन / हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र जीवतर नहीं किया जायेग्य ।
	11. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें क्योंकि यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
	12. अम्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। 13 अम्यर्थी ऑनलाईन आवेटन पत्र में कंप्ती (User 1) के लोग की सुविधा देय नहीं होगी।
	13.अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में घुंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 05 रंगीन फोटो प्रतियाँ सुरक्षित रखें।
आनलाइन आवेदन प ऑनलाईन आवेदन मे	त्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:- Îो अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अपने के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-
भीतर निर्धारित	शल्क रूपये 500 / – का ऑनलाईन भगवान कर आनेत पार्ट भारत की अवधि के दौराने एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के
ही होगा। 2. आयोग द्वारा प्रथ	म घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पर्व 07 दिन से पिए वर्डेन्ट्रान रेफि के प्रति के सी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का
3. One Time Re संभव नहीं होगा	म, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। gistration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन
4. किसी भी प्रकार 5. सभी प्रकार के अ	के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी। नमत संशोधन हेत शालक 500 ८— रूपये विधानिन है।
<ol> <li>आयाग द्वारा परार 7_ आयोग द्वारा अभ ऑफलाईन / ऑन</li> </ol>	धा आयाजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। 19थीं से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी लाईन प्रस्वितन करने हेन अध्यर्थी को कोई जपनी अधिनक जर्भ के
2. आरक्षित वर्ग (3	िक कि क
3. दिव्यांगजन – नोट :–	रूपये 400/- रूपये 400/-
<ol> <li>जिन अभ्यां</li> </ol>	राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को र्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। र्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर र्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवावें।
	Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-II :-
The Examination s	hall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.
1. The ques	PAPER – I
<ol> <li>Duration</li> <li>The quest</li> </ol>	of question paper will be 2:00 Hours.
Explana	marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that question shall be deducted. <b>tion:</b> Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
belonging राजस्थान	Refer सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम 1988 तथा यानुक्यान नियमजन्म अभिनय कि कि का के 200
6. Paper sha	यजन को न्यूनतम उत्तीर्णाकों में छूट/रियायत दी जायेगी। Il include following subjects:- phical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
(iii) Currer (iii) Gener	al knowledge of world and India
(IV) Educa	tional Psychology.

- Paper-II : Knowledge Organization, Informative Processing and Retrieval.
  1. The question paper will carry maximum 200 marks.
  2. Duration of question paper will be 2:00 Hours.
  3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
  4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. राजस्थान सिविल सेवा (मूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान निःशक्तजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं
- विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णाकों में छूट/रियायत दी जायेगी। Paper shall include following subjects:-
- (i) Universe of knowledge, Structure and Attributes, Modes of formation of subjects, Different types of subjects, Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.
- (ii) Bibliographic description. Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules. Normative principles of cataloging. Overview of principles of practice in document description. Current trends in standardization, description and exchange. Standard
- (iii) Methods of knowledge organization. General theory of Library classification. Normative principles of classification and their applications. Species of Library classification. Standard schemes of classification and their features, CC, DDC, UDC. Notation : need, functions, characteristics. Design and development of schemes library classification, standard sub-division index. Trends in
- Library classification. (iv) Subject Classification, Principles of subject classification. Subject heading lists and their features.

#### उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:– 1.

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN. 2 It is mandatory to fill one option for each question.
- 3.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted. 4
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.
- अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :--
- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा⁄साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & 1. E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। 2
- अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें 3 कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। 4
- अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 5
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक). विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/ त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से मिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि 6 के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / उत्कृष्ट खिलाड़ी / भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/ संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑन्लाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑन्लाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा 7 अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनेक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं 8
- यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी 9
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाम दिया जायेगा।
- अंगनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण–पत्र मय 500/– रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा हेतु से सिखा के देक से अधिक चरण होने पत्र प्रथम जाण की मनीय उपयांत अपर्थ कित्य (किसके देवर) प्रति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा/ दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाम आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा। 11.
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाम प्रदान किया जाएगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विचिछन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। 12
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग / श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग / श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से 13
  - संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड∕मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त बांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं

# **RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION**

SYLLABUS FOR SCREENING TEST FOR THE POST OF

## LIBRARIAN GRADE-II

## LANGUAGE AND LIBRARY DEPARTMENT

## PART-A

## <u>UNIT-I</u>

Library as Social Institution, Development of Libraries in India. Different Types of Libraries-Public, Academic and Special. National Library of India. Five Laws of Library Science and their implications. Library Legislation- Need, Features and Efforts in India. Copyright Act, Delivery of Books Act, Intellectual Property Rights. Library Association: International and National- IFLA, ALA, ILA, IASLIC. Library Education in India. Raja Rammohan Roy Library Foundation, National Knowledge Commission.

## UNIT-II

Universe of Subjects- Definition and Purpose, Modes of Formation of Subjects. Definition, Need and Purpose of Library Classification. Species of Library Classification Schemes. Features of Colon Classification and Dewey Decimal Classification. Five Fundamental Categories, Common Isolates, Notation, Phase Relations. Principles of Helpful Sequence, Use of Devices in Colon Classification.

Catalogue- Definition, Need and Purpose, Brief History and Development of Catalogue and Cataloging Codes. Physical Forms of Catalogue. Types of Library Catalogue. Subject Cataloging- Definition, Need and Purpose. Kinds of Catalogue Entries, Chain Procedure, Sears' List of Subject Headings. Choice of Headings and its Rendering. Bibliographical Standards.

## UNIT-III

Types of Information Sources: Documentary and Non-documentary. Primary, Secondary and Tertiary. Evaluation of Information Sources. Need and Purpose of e-resources, e-books, online journals, databases.

Concept and Need for Reference Services. Types-Long Range, Short Range, Qualification and Qualities of Reference Librarian.

Concept and Need of Information Services- Document Delivery, Electronic Document Delivery, Abstracting and Indexing Services, Translation, Literature Search, Alerting Services-CAS, SDI.

Library Networks and Resources Sharing: Concept and Purpose. National and International Initiatives- INFLIBNET, DELNET, OCLC.

## UNIT-IV

Management: Concept, Definition and Scope. Functions and Principles of Management in Libraries. Library Operations - Selection and Acquisition, Collection Building and Development, Technical Processing, Circulation- Charging and Discharging Systems, Serial Control, Stock Verification, Weeding out.

Library Authority and Committee. Library Personnel- Job Description, Job Analysis, Job Satisfaction, Job Evaluation.

Financial Management- Sources of Finance, Financial Estimation. Budgeting Techniques.

Library Building. Library Rules. Statistics. Annual Report. Maintenance, Conservation and Preservation of Library Matarial.

#### <u>UNIT –V</u>

Information Technology - Definition, Need, Scope, Objectives and Components. Historical Development, Generation and Classification of Computers. Components, Peripherals, Input, Output and Storage Devices.

Softwares - System and Application Softwares.

Operating Systems - Single and Multi-user, Basic features of MS-DOS, MS- Windows

Library Automation: Definition, Need and Purpose; Application of Computers to Library Operations.

Basic Features / Modules of Library and Information Management Software: WINISIS/ SOUL2.0

General Application Software: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Telecommunications - Need, Purpose and Objectives

Communication Tools and Techniques: E-mail, Teleconferencing/Video Conferencing, Web Portals, Social Networking Tools.

Network - Concept, Components, Topologies and Types (LAN, WAN, MAN, VPN)

Internet - Concept, Definition, Origin, Need and Purpose; Internet Services.

-100 Questions

## PART-B

Language , Literature & Scholarship : Dialects of Rajasthani language, literature of Rajasthani language and folk literature. Various language and literary academies of state government. Higher education institutions and research establishments of state and center government in Rajasthan. Religious Life: Religious communities, saints and sects in Rajasthan. Folk deities of Rajasthan. Performing Art: Classical music and classical dance, folk music & instruments; Folk dances & drama. Visual Art: Handicrafts of Rajasthan, historical architecture – forts, palaces and temples. Tradition: Costume and ornaments, social customs of Rajasthan. Festival and fairs in Rajasthan. Various tribes and their customs. Historical sites and tourist places.

Geography of Rajasthan : Broad physical features- Mountains, Plateaus, Plains & Desert; Major rivers and lakes; Climate and Agro-climatic regions; Major soil types and distribution; Major forest types and distribution; Demographic characteristics; Desertification, Droughts & Floods, Deforestation, Environmental Pollution and Ecological Concerns.

General English :-Articles and Determiners, Prepositions, Modals, Tenses, Change of Voice from Active to Passive & vice – versa, Change of Narration - from Direct to Indirect & vice – versa, Synonyms, Antonyms, Phrasal Verbs, Translation of sentences from Hindi to English

General Hindi :- संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी–अनुवाद।

\* \* \* \* \*

-50 Questions

Pattern of Question Papers :

- 1 Objective Type Paper.
- 2 Maximum Marks : 300
- 3 Number of Questions : 150
- 4 Duration of Paper : Three Hours
- 5 All Questions carry equal marks.
- 6 There will be **Negative Marking**.

\* \* \* \* \*